न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर ,कानपुर देहात।

परिवाद सं–1263/2020

सहदेव बनाम शिवकुमार आदि ।

दिनांक 19/11/2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी । पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी सहदेव की ओर से धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए इस आशय का कथन किया गया है कि दिनांक 14.08.2020 को प्रार्थी अपने खेत की मेड़ बांध रहा था तभी गांव के शिवकुमार , सुनील, जाहर सिंह, कैलाशनाथ, सौरभ, गौरव आये और अपने अपने हाथों में लाठी डण्डे लिये हुए थे और गालियां देते हुए कहने लगे कि साले मैं तुझे खेत की मेड़ नहीं बनाने दूंगा जहां से लेखपाल नाप गया है जब प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो सभी लोग एकराय होकर प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे। लेखपाल महोदय द्वारा की गयी नाप जोख के बाबत प्रार्थना पत्र संलग्न है। प्रार्थी किसी तरह वहां से बचकर अपने घर की तरफ भागा घर पहुंचा तो उपरोक्त सभी लोग प्रार्थी का पीछा करते हुए प्रार्थी के घर के अन्दर घुस आये घर पर भी मारपीट व गाली गलौज करने लगे। शोर सुनकर गांव के कई लोगो के आ जाने से उपरोक्त सभी लोग प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर कहा कि आज तो तू बच गया है अगली बार तुझे जान से मार देंगे। घटना की शिकायत उसी दिन हाजा में की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब दिनाक 16.09.2020 को घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिये रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र प्रेषित किया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने हेतु थानाध्यक्ष को आदेशित किये जाने की याचना की गयी।

उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँकित 20.10.2020 के द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया तथा परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया । परिवादी की ओर धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत पी०डब्लू०–01 अरविन्द कुमार व पी०डब्लू०–02 कल्यान सिंह को परीक्षित कराया गया है।

परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं प्र०सं० में कथन किया गया कि मैं खेत की मेड़ बाँध रहा था तभी गांव के शिव कुमार, सुनील कुमार, जाहर सिंह, कैलाशनाथ, सौरभ, गौरव व छोटे आये और मारपीट की व गाली दिया। मैं भाग कर अपने घर में घुस गया तो सभी लोग पीछे से घर में घुस आये और मारपीट करने लगे। जिसका समर्थन परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने अपने बयान में किया है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा गृह अतिचार करने, मारपीट करने, गाली गलौज करने का अपराध प्रथम दृष्टया होना प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण शिव कुमार, सुनील कुमार, जाहर सिंह, कैलाशनाथ, सौरभ, गौरव व छोटे को अंतर्गत धारा –452, 323, 504, भा०द०सं० में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं। अन्य किसी धारा में तलब किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं।

आदेश

अभियुक्तगण शिव कुमार, सुनील कुमार, जाहर सिंह, कैलाशनाथ, सौरभ, गौरव व छोटे को अंतर्गत धारा –452, 323, 504, भा०द०सं० में तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। बाद पैरवी सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 04/01/2023 को पेश हो।

(राशि तोमर)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
J.O code U.P 2540